संख्या-34/2016/423/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः17 फरवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में अतिरिक्त बजट व्यवस्था के लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वितीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1284/स0क0/विकास/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक-20.11.2015 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वितीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-30.00 लाख (रूपये-तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) मद में बचत की उपलब्धता का दायित्व आपका होगा।

2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, आप द्वारा उसका सद्पयोग इसी वितीय वर्ष में कर लेंगे।

4- जिन कर्मियों का भुगतान प्रस्तावित है, उन्हे नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत रखा गया है, यह सुनिश्चित कर लेंगे।

5- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

6- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-04-अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-221/दस-2016, दिनांक 12 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9 भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-34/2016/192/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

3- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

7- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
प्रपत्र बी0एम0–9

अनुदान संख्या–80–निदेशक, समाज कल्याण
वित्तीय वर्ष 2015–16

(रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					
लेखाशीर्षक–15डिजिटलकोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2235–02–200–06–00–20 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 200–अन्य कार्यक्रम 06–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता 00– 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	10000	10000	3000	3000	7000	2225–01–277–04–00–16 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 277–शिक्षा 04–अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास (जिला योजना) 00– 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4000	7000	3000	3000	7000
योग–	10000	10000	3000	3000	7000		4000	7000	3000	3000	7000

क–मानक मद में धनराशि कम होने तथा आवश्यकता अधिक होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–373/ई–3–221/दस–2016 दिनांक 12 फरवरी ,2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(रामसुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

—2

Praroop

34/2016/623(1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3– निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट,लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।